N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0209 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/08/2025 15:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 13/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:57 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/08/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/08/2025 15:21:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 115 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARAYALYA ATIRIKT JILA PARIYOJANA SAMANVAYAK,, SAMAGR SHIKSHA,SIKAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNIL KUMAR DAHIYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMESHWAR LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	REENGAS POST DEEDWANA, JILA NAGAUR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	REENGAS POST DEEDWANA, JILA NAGAUR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMCHANDRA		पिता:JAISARAM	1. DHANEE BIJARNIYO KI KATRATHAL ROAD,PIPARALI,SIKAR,RAJAS
2	KAMAL KUMAR		पिता:GOPAL CHAND	1. MANDA BHIM SINGH,RENWAL,RENWAL,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
3	KHUMA RAM BAJROLIYA		पिता:BHAGURAM BAJROLIYA	1. GRAM DHOKLIYA POST MANGLANA,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 04.08.2025 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर के कार्यालय कक्ष में दो व्यक्ति उपस्थित आये जिनमे मन अति.पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में आने का प्रयोजन व नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम सुनील कुमार दहिया पुत्र श्री रामेश्वरलाल उम्र 39 वर्ष निवासी-रीगस पोस्ट डीडवाना जिला नागौर हाल जिला डीडवाना कुचामण व फर्म महालक्ष्मी कन्ट्रकसन कम्पनी पिपराली रोड़ सीकर का प्रोपराईटर होना बताया तथा दुसरे ने अपना नाम श्री किशनाराम पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति जाट उम्र 53 साल निवासी उदंसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर व फर्म महालक्ष्मी कन्ट्रकसन कम्पनी पिपराली रोड़ सीकर में मुनीम का कार्य करना बताया तत्पश्चात श्री सुनील कुमार दहिया ने मन अति.पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेवामे, श्रीमान् अति. पुलिस अधिक्षक एसीबी चोकी जयपुर ग्रामीण जयपुर विषय-रिसवत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने बाबतः महादेय,निवेदन है कि मेरि रजिस्ट्रड फर्म महालक्ष्मी कन्ट्रकसन कम्पनी पिपराली रोड़ सीकर है। जो सरकारी टेण्डरो में C ग्रेड तक के टेण्डरो में कार्य कर सकती है। इसी फर्म के नाम से मेरे G सी सेकडरी स्कूल देवास में स्कूल के कमरे बनाने का कार्य जो मेरी फर्म द्वारा वर्ष 2024 मे पुरा कर दिया गया है। परन्तु आज दिनाक तक मेरी फर्म उक्त कार्य का भुगतान नही हुआ है। क्यो की मेरी फर्म द्वारा करवाये गये कमरो का निमार्ण कार्य SMSA SIKAR के अधिन करवाया गया है। जहा पद स्थापित AEN कुभाराम व AAO रामचन्द्र बिल भुगतान के ऐवज में रिश्वत के रूप मे सपूर्ण कार्य बिल के प्रतिशत राशि 4-5/- रिश्वत राशि मांग कर रहे है। मेरे साथ मेरा दोस्त भी मेरी फर्म के द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो मे मुनीम का कार्य करता है। जो भी लेबर व अन्य सामग्री निमार्ण कार्यो के लाइ जाती है। अस का मेरा दोस्त किशनाराम करते है। तथा किशना राम ही AAO रामचन्द्र से बात करते है। तथा मेरी कार्यो के बिल भुगतान के सबन्ध में AEN कुभाराम से बात करता है मे मेरे जायज कार्य की भुगतान राशि प्राप्त करने की एवज मे उक्त दोनो AEN कुभाराम व AAO रामचन्द्र को रिश्वत राशि नही देता चाहता हूं एवम रंगे हाथ पकडवाना चाहाता हुँ अत मेरी रिपार्ट पर कानूनी कारवायी करने की कृपा करे रिश्वत सबन्धी वार्ता करने के लिए AEN कुभाराम के पास मे तथा AAO रामचन्द्र के पास मेरा मुनिम किशनाराम जी जायेगे कार्यवायी करने का श्रम करे- संलग्न आधार कार्ड सुनिल कुमार आधार कार्ड किशनाराम वर्क आडर कमरा निमार्ण सी सै. स्कूल देवास फर्म के रिजेट्रस प्रार्थी S/D सुनील कुमार दहिया S/O श्री रामेश्वरलाल उम्र 39 वर्ष निवासी-रीगस PO डीडवाना जिला नागौर हाल जि. डीडवाना कुचामण[redacted]S/D किशनाराम महला [redacted] परिवादी श्री सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही करते दिनांक 05.08.2025 को नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो परिवादी के मुनीम श्री किशनाराम की दिनांक 05.08.2025 को संदिग्ध आरोपी श्री रामचन्द्र सहायक लेखाधिकारी- प्रथम,कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई जिसमें 45000/रूप्ये रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई । श्री कुभाराम एईएन के दिनांक 05.08.2025 को कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 06.08.2025 को श्री कुभाराम एईएन कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सीकर से रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गयी तो परिवादी श्री सुनील कुमार से उसके पेण्डिग कार्य की एवज में 60,000/रूपये की रिश्वत मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। जिसकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। दिनांक 07.08.2025 समय 6.30 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार (कनिष्ठ सहायक) व श्री देवीसिंह ढोली (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के समक्ष परिवादी श्री सुनील कुमार दहिया पुत्र श्री रामेश्वर लाल दहिया उम्र 39 साल निवासी रिंगस पोस्ट डिडवाना जिला नागोर हाल जिला डीडवाना कुचामन [redacted] को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री सुनील कुमार दहिया ने अपने पास से पांच-पांच

सौ रूपये के 200 नोट कुल 100,000/-रूपये प्रस्तुत किए। चूंकि उक्त ट्रेप कार्यवाही में श्री रामचन्द्र एएओ द्वारा 45000/ रूपये तथा श्री कुभाराम एईएन द्वारा 60000/ रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है इस प्रकार कुल रिश्वति राशि 1,05,000/-रूपये होती है इस पर परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा रिश्वति राशि के रूप में 1,00,000/-रूपये की ही व्यवस्था हो पायी है। इस पर सहपरिवादी श्री किशनाराम ने बताया कि श्री रामचन्द्र एएओ को उसकी मांग के अनुशरण में 40000/-रूपये भी देगें तो वह रिश्वति राशि प्राप्त कर लेगा। रिश्वती राशि में प्रस्तुत किये गये नोटों के नम्बर कम्प्यूटर में अंकित करवाये गये । परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों पर श्री भगवती प्रसाद वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवा कर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर फर्द पेशकशी में क्रम संख्या 1 से 120 तक अंकित नम्बरी नोट परिवादी श्री सुनील कुमार दहिया की पहनी हुई पेंट की दाहिने जेब में श्री भगवती प्रसाद वरिष्ठ सहायक से फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त 60,000/-रू0 में रखवाए गए। एवं फर्द पेशकशी में क्रम संख्या 121 से 200 तक अंकित नम्बरी नोटो का मिलान कर सहपरिवादी श्री किशनाराम की पहनी हुई पेंट की दाहिने जेब में श्री भगवती प्रसाद वरिष्ठ सहायक से फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त 40,000/-रू0 में रखवाए गए। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 07.08.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया परन्तु श्री कुभाराम एईएन के कार्यालय में मौजूद नहीं होने से ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 13.08.2025 मन् अति.पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ श्री राजकुमार पुलिस निरीक्षक उ.नि.श्री सुभाष. स.उ.नि.श्री चांदमल हेड. कानि. रिजवान है.कानि.श्री ओमप्रकाश कानि0 133, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 68, होशियार सिंह कानि.80, श्री बन्नाराम कानि.137,श्री रणजीत सिंह कानि.129, श्रीमति रजनी म.कानि.127 श्री अमित वरिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार, श्री देवीसिंह , श्री निर्मल पलसानियां श्री गोविन्दनाथ व मय श्री भगवती प्रसाद वरिष्ठ सहायक के सरकारी वाहनों आर जे14 यू.ए 6423 व सरकारी बस आरजे 14 पीई 9166 के मय चालक के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिंटर व वीडियों कैमरे के आवश्यक सामग्री के गोपनीय कार्यवाही हेतू के लिये रवाना होकर सीकर से पहले टोल नाके से आगे पहुच वाहनों को साईड में रूकवाया जहा परिवादीगण उपस्थित मिले। जहां पर पाउडर लगी रिश्वती राशी 60,000/- रूपयें आरोपी कुभाराम को देने के लिए व 40,000/- रूपये आरोपी रामचंद्र सहायक लेखा अधिकारी को देने के लिए लिफाफो से निकलवाई जाकर पुर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया। नोटो के हुबहु पाये गये। तत्पश्चात पाउडर लगे 60,000 रूपयें/- रिश्वती राशी श्री भगवती प्रसाद वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री सुनिल कुमार दहिया की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये व सहपरिवादी श्री किशनाराम की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में पाउडर लगे 40,000 /-रूपयें रिवश्ती राशी श्री भगवती प्रसाद वरिष्ठ सहायक से रखवाये गये और रवाना होकर कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर के पास पहुंचा परिवादी सुनिल कुमार ने बताया कि मैने गोपनीय तौर से मालुमात किया है कि कुभाराम एईएन कार्यालय में नही है, जिस पर कुभाराम एईएन के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई जिस पर कुभाराम से करवाई गई तो कुभाराम ने बताया कि मैं कार्यालय में नही हुँ जो भी कागजात लाये हो वो अमीत नाम के कर्मचारी को देने के लिए कहा व रिश्वती राशी के बारे में पुछने पर उसने कहा की बार बार क्या बताउ आपको और फोन काट दिया उसके बाद पुनः परिवादी ने 10.53 मिनट पर आरोपी को वाटसअप नम्बर [redacted] पर वार्ता की तो उसने पुछा की पैसे किसको देने है तो आरोपी ने बताया कि कमल को देदो उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल ट्रेप रिकोर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड किया गया था। उसके बाद में हम सभी ट्रेप पार्टी सदस्य फतेहपुर रोड सीकर से रवाना होकर आरोपी के कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समनवय समग्र शिक्षा सीकर के पास पहुचे व वाहनों को साईड में लगाकर श्री राजकुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक को परिवादी सुनिल कुमार के साथ ब्युरो स्टाफ के श्री ओमप्रकाश हैड कानि0, श्री रणजीत कानि0, देवेन्द्र सिंह कानि0, श्री होशियारसिह कानि0 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री रमेश कुमार कानि0 व स्वतंत्र गवाह श्री निर्मल पलसाणियां व श्री गोविन्दनाथ के मय टेप रिकोर्डर मय वीडीओं ग्राफी कैमरे के साथ आरोपी के दलाल कमल कुमार की दुकान की तरफ रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहपरिवादी श्री किशनाराम व स्वतंत्र गवाह व ट्रेप पार्टी सदस्य कार्यालय के पास मुकिम रहकर परिवादी को आरोपी रामचंद्र सहायक लेखा अधिकारी को रिश्वत देने हेतु रवाना किया गया। समय करीब 11.57 एएम पर सहपरिवादी का मुकर्र ईशारा पाते ही मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को ईशारा कर साथ लेते हुए सहपरिवादी के पास पहूंचा तो सहपरिवादी कार्यालय के पोर्च के आगे मिला। सहपरिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। सहपरिवादी ने बताया की मै कार्यालय के अन्दर गया तो आरोपी श्री रामचन्द, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम कमरा नं. 3 में अपनी सीट पर बैठे हुये मिले, जिनके पास एक व्यक्ति बैठा था। मै कमरे से बाहर आकर मेरे मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री रामचन्द्र के मोबाईल नं. [redacted] पर फोन किया और बाहर बुलाया और उसको कहा बाहर आ जाओ साहब फिर में जाउगा आप इस साईड आ जाओ। इस पर श्री रामचन्द्र बाहर आया और बोला वो गाडी खडी है ना 6429 उसके बैग में रख दो, मै अपने आप ले

लुगा तब सहपरिवादी बोलता है कि गाडी में रख आउ क्या तो आरोपी बोलता है कि वो सामने मोटर साईकिल खडी है ना उसमें रख दो। मैने उनके कहे अनुसार पाउडर लगे 40,000/- रूपये रखवाये। इसके बाद मैने इशार कर साईड मे आ गया। मौके पर श्री बन्नाराम कानि. ने भी मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि सहपरिवादी जब कार्यालय के अन्दर गया तो उसके साथ एक व्यक्ति साथ में आया। कार्यालय से बाहर निकल कर सहपरिवादी उसके साथ एक मोटर साईकिल के पास गया और उस व्यक्ति ने एक मोटर साईकिल की तरफ ईशारा किया जो मैने देखा था और सहपरिवादी ने अपनी जेब से पाउडर लगे नोटो की थैई को मोटर साईकिल के बैग में रख दिये थे। इस पर सहपरिवादी के बताये अनुसार मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं पार्टी सदस्य के साथ कमरा नं. 03 के पास पहुंचा तो कमरा नं. 03 में सामने की कुर्सी बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर सहपरिवादी ने बताया कि यही श्री रामचन्द, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम है, जो रिश्वत के 40,000/- रूपये अपनी मोटर साईकिल पर लगे बैग में रखवाये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामचन्द्र पुत्र श्री जैसाराम, उम्र 56 वर्ष, जाति जाट, निवासी ढाणी बिजारनियों की, कटराथल रोड, पिपराली, पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सहपरिवादी श्री किशनाराम से ली गई रिश्वती राशि 40,000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री रामचन्द ने रिश्वती राशि लेने से मना किया। मौके पर ही मौजूद सहपरिवादी ने बताया कि यह झुठ बोल रहा है, फर्म महालक्ष्मी कन्सट्रक्शन कंपनी, पिपराली रोड, सीकर के बिल पास करने की एवज में दौराने मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.08.25 को इन्होने 45,000/- रूपये लेने की सहमती दी थी। इसके बाद तत्पश्चात् सहपरिवादी द्वारा बताई गई बातो के सबंध में पुनः श्री रामचन्द, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछा गया तो श्री रामचन्द ने सहपरिवादी से रिश्वती राशि नही लेना बताया। इसके पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह, ट्रेप पार्टी सदस्य व आरोपी को साथ लेते हुये कार्यालय के बाहर साईड में पेड के नीचे खडी काले रंग की स्पलेडर प्रो नं. आरजे 23 एसके 6429 के साईड में लगे काले रंग के बैग को स्वतंत्र गवाह से तलाश करवाया तो बैग में पाँच-पाँच सौ रूपये की थैई दिखाई दी जो गवाह श्री मनोज कुमार से उठवाये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही कार्यालय के दस्तावेज से पता चला कि ट्रेप कार्यवाही के आरोपी श्री कुभाराम का सही दस्तावेजी नाम खुमाराम है अतः आगे की ट्रेप कार्यवाही में आरोपी कुभाराम का सही दस्तावेजी नाम खुमाराम फर्द में अंकित किया गया है। तत्समय श्री राजकुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री निर्मल पलसानिया व श्री गोविन्दनाथ व श्री ओमप्रकाश हैड कानि. व श्री होशियार सिंह, कानि., श्री देवेन्द्र सिंह, कानि. व कानि. चालक श्री रमेश कुमार व एक व्यक्ति जिसका नाम श्री राजकुमार, पुलिस निरीक्षक ने दलाल कमल कुमार होना बताया, जिनके साथ उपस्थित आये और मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि हम इस कार्यालय के बाहर से रवाना होकर कलेक्ट्रेट के पीछे एलआईसी ऑफिस के पास पहुचे तो परिवादी ने ईशारा कर बताया कि इस गली में मार्केट के अन्दर दलाल कमल की फोटो स्टेट व कम्प्यूटर कार्य की दुकान है, जिसका मैने गोपनीय तरीके से मालूमात किया है, वह दुकान पर ही हैं। जिस पर परिवादी श्री सुनिल कुमार दहिया को पूर्व में सुपुर्द की गई पाउडर लगी रिश्वती राशि 60,000/- रूपये व कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर शुरू कर दुकान की तरफ दलाल श्री कमल के पास उसकी दुकान पर भिजवाया। कुछ समय बाद परिवादी ने मुकर्र ईशारा किया तो मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान गली में काम्पलेक्स के पास पहुंचे जहा परिवादी उपस्थित मिला, जिसको साथ लेकर गये तो आगे एक गली में काँच के गेट की दुकान की तरफ ईशारा कर बताया कि यह कमल की दुकान है जिसके अन्दर मै गया और खुमाराम एईएन को दो बार वाटसअप कॉल किया तो उसने फोन नही उठाने पर कमल ने पैसे लेने ने इन्कार कर दिया। उसके बाद मै वापस आने लगा तो कमल के फोन पर श्री खुमाराम सहायक अभियंता ने का फोन आया। जिस पर उसने फोन का लाउड स्पिकर ऑन पर सुनाया तो खुमाराम ने कहा कि सुनिल आपकी दुकान पर आया है। जिस पर मैने खुमाराम, सहायक अभियंता को कहा कि मै 60,000/- रूपये लेकर आया हुँ तो उसने कहा कि कमल को दे दो तब मैने खुमाराम सहायक अभियंता के कहे अनुसार कमल को 60,000/- रूपये पाउडर लगे दिये, जो कमल ने अपने दाहिने हाथ से लेकर बिना गिने ही टेबल की दराज में रख दिये। उसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उसका परिचय व रिश्वती राशि के बारे पूछा तो उसने घबराकर अपना नाम कमल कुमार पुत्र श्री गोपाल चन्द, उम्र 38 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी मण्डा भीम सिंह, तह. रेनवाल, पुलिस थाना रेनवाल, जिला जयपुर होना बताया व रिश्वती राशि के बारे में पूछने पर बताया कि मैने खुमाराम, सहायक अभियंता साहब के कहने से लिये है मुझे पता नही है यह किस चीज के है। उसके बाद पूनः पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे पास कान्ट्रेक्टर विजय जी श्रीमाधोपुर के मोबाईल नं. [redacted] मे मेरे मोबाईल नं. [redacted] पर वाटसअप कॉल आया जिस पर श्री खुमाराम, सहायक अभियंता बोल रहा था। मैने उनको कहा हाँ साहब तब खुमाराम जी बोले सुनिल आया होगा तब बीच मे ही परिवादी सुनिल बोलता है मै 60,000/- रूपये लेकर आया हुँ तब खुमाराम, सहायक अभियंता बोलता है ठीक है। उक्त वाटसअप कॉल से पृथक से स्किन शॉट लिये जायेगे। रिश्वती राशि के बारे मे पुछने पर उसने अपनी टेबल की दराज में से अपने दाहिने हाथ से पाँच-पाँच सौ की एक थैई निकालकर टेबल पर रख दी, जो स्वतंत्र गवाह श्री निर्मल पलसानिया को दिलवाये गये। रिश्वती की राशि लेने की पुष्टि होने पर आरोपी दलाल श्री कमल कुमार के बायें हाथ को श्री ओमप्रकाश, हैड कानि. से व दाहिने हाथ

को श्री होशियार सिंह, कानि. से पकडवाये गये। मौके पर बाजार होने एवं भीडभाड होने के कारण कार्यवाही संभव नही होने के कारण हुबहु स्थिति में आरोपी दलाल श्री कमल कुमार को सरकारी गाडी में बैठाकर कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर लेकर आये। तत्पश्चात् श्री रिजवान, हैड कानि. से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो प्लास्टिक डिसपोजल के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक प्लास्टिक डिसपोजल के गिलास के घोल मे मोटर साईकिल पर लगे काले बैग के अन्दर जहा रिश्वती राशि बरामद हुई उस स्थान को रूई के फोवे से सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी जाईधार होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क MCB-1,MCB-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् श्रीमति रजनी मीना, महिला कानि. से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो प्लास्टिक के डिसपोजल गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक प्लास्टिक के डिसपोजल गिलास के घोल मे श्री कमल कुमार के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे समस्त हाजरनी ने मटमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L-1,L-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे प्लास्टिक के डिसपोजल गिलास के घोल मे श्री कमल कुमार के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झाई देता हुआ हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी झाई रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1.R-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पश्चात् आरोपी श्री रामचन्द्र, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम की मोटर साईकिल स्पलेंडर परो नं. आरजे 23एसके 6429 के साईड के बैग मे प्राप्त रिश्वती राशि 40,000/- रूपये जो गवाह श्री मनोज कुमार मे उठवाये गये को गिनवाये गये तो भारतीय मुद्रा के पाँच-पाँच सो के 80 नोट कुल 40,000/- रूपये बताये। उक्त नोटो का दोनो स्वतंत्र गवाह से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। जो फर्द अनुसार अंकित किये गये।उक्त 40,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त नोटो के नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया।तत्पश्चात् दलाल श्री कमल कुमार से प्राप्त रिश्वती राशि 60,000/- रूपये जो गवाह श्री निर्मल पलसानिया से उठवाये गये को गिनवाये गये तो भारतीय मुद्रा के पाँच-पाँच सो के 120 नोट कुल 60,000/- रूपये बताये। उक्त नोटो का दोनो स्वतंत्र गवाह से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। जो फर्द अनुसार अंकित किये गये।उक्त 60,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त नोटो के नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया।तत्पश्यात आरोपी श्री रामचन्द्र की मोटर साईकिल के बैग में मिली रिश्वती राशि के धोवल में काम में ली गई रूई के फोवे को सुखा कर एक माचिस की डिब्बी मे रखकर एक कपडे की थैली मे डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-B अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्यात आरोपी श्री रामचन्द्र की मोटर साईकिल के बैग जिसमें रिश्वती राशि बरामद हुई उक्त बैग बरंग काला को सुखाकर एक कपडे की थैली मे डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क- C अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पश्चात् परिवादी के कार्य के बारे में पूछने पर आरोपी श्री रामचन्द्र, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम ने बताया कि पत्रावली मेरे पास नही है, सहायक अभियंता के पास है। जिस पर कार्यालय में कार्यरत श्री रामचन्द्र, कनिष्ठ अभियंता को परिवादी श्री सुनिल कुमार दहिया के कार्य की पत्रावली सहायक अभियंता श्री खुमाराम के कमरे से तलाश कर पेश करने के लिये कहा तो पत्रावली की तलाश की गई तो पत्रावली सहायक अभियंता खुमाराम की टेबल पर मिली, जिसको श्री रामचन्द्र ने पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो मैसर्स महालक्ष्मी कन्सट्रक्शन कंपनी को सीनियर सैकण्डरी स्कूल देवास मे कम्प्यूटर लैब और लाईब्रेरी बनाने का वर्क ऑर्डर मिला था। उक्त कार्य फर्म द्वारा दिनांक 02.04.2025 को पूर्ण किया जाकर कम्प्यूटर लैब व लाईब्रेरी की बिल्डिंग प्राधानाचार्य को दिनांक 05.05.25 को सुपुर्द कर दी थी। हैड ऑवर फार्म पर संस्थान प्रधान के हस्ताक्षर है। उक्त फाईल तैयार होकर दिनांक 16.07.2025 को मेरे को प्राप्त हुई थी। मैने उसी दिन सहायक अभियंता खुमाराम को मार्क कर दी थी। फिर खुमाराम ने दिनांक 17.07.2025 को एडीपीसी सर को मार्क की, एडीपीसी सर ने उसी दिन आरोपी श्री रामचन्द्र, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम को मार्क कर दी। श्री रामचन्द्र, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम ने दिनांक 29.7.2025 को ओब्जेक्शन लगाकर एडीपी सर को भेज दी, फिर एडीपीसी सर ने सहायक अभियंता को मार्क कर दी, जो आज सहायक अभियंता ने पत्रावली को आज दिनांक 13.08.2025

तक अपने पास पैण्डिग रखी। उक्त पत्रावली की फोटो कॉपी करवाकर फोटो कॉपी को श्री रामचन्द्र, कनिष्ठ अभियंता से प्रमाणित प्रतियों करवाकर पत्रावली को पृथक से जब्त की जावेगी।आरोपी श्री रामचन्द्र, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम की मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्रो नं. आरजे 23 एसके 6429 को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जायेगा। आरोपी श्री कमल कुमार, दलाल के मोबाईल [redacted]का उसके द्वारा फोन को अनलॉक करवाया जाकर चैक किया गया जिसके वाटसअप में कॉन्ट्रेक्टर विजय जी श्रीमाधोपुर के मोबाईल[redacted] से वाटसअप कॉल पर आरोपी श्री खुमाराम, सहायक अभियंता की वार्ता हुई। जिनका कुल किता 06 पृष्ठ स्क्रीन शॉट लिया जाकर शामिल फर्द किया जावेगा।विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता सुना गया तो उसमे रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिनकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। अब तक की कार्यवाही से श्री रामचन्द्र पुत्र श्री जैसाराम, उम्र 56 वर्ष, जाति जाट, निवासी ढाणी बिजारनियों की, कटराथल रोड, पिपराली, पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर, श्री खुमाराम, सहायक अभियंता, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर व श्री कमल कुमार पुत्र श्री गोपाल चन्द, उम्र 38 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी मण्डा भीम सिंह, तह. रेनवाल, पुलिस थाना रेनवाल, जिला जयपुर ने परिवादी सुनील कुमार दहिया पुत्र श्री रामेश्वरलाल उम्र 39 वर्ष निवासी-रीगस पोस्ट डीडवाना जिला नागौर हाल जिला डीडवाना कुचामण व फर्म महालक्ष्मी कन्ट्रकसन कम्पनी पिपराली रोड़ सीकर का प्रोपराईटर व सहपरिवादी श्री किशनाराम पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति जाट उम्र 53 साल निवासी उदंमर तहसील फतेहपुर जिला सीकर व फर्म महालक्ष्मी कन्ट्रकसन कम्पनी पिपराली रोड़ सीकर में मुनीम के विरूद्ध परिवादी की फर्म महालक्ष्मी कन्ट्रकसन कम्पनी पिपराली रोड़ सीकर के द्वारा GC सेकडरी स्कूल देवास में स्कूल के कमरे बनाने का कार्य फर्म द्वारा वर्ष 2024 मे पुरा करना बताया। परन्तु आज दिनाक तक फर्म को उक्त कार्य का भुगतान नही हुआ है। क्योंकि फर्म द्वारा करवाये गये कमरो का निमार्ण कार्य SMSA SIKAR के अधीन करवाया गया है। कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर में पदस्थापित AEN खुमाराम व AAO रामचन्द्र बिल भुगतान के एवेज में रिश्वत के रूप मे सपूर्ण कार्य बिल के प्रतिशत राशि 4-5/- रिश्वत राशि मांग कर रहे थे। मांग के अनुसरण में दिनांक 06.08.2025 को सत्यापन करवाया गया तो परिवादी श्री सुनिल कुमार दहिया से आरोपी श्री खुमाराम, सहायक अभियंता ने 60,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर दलाल श्री कमल को देने की कही है और सहपरिवादी श्री किशनाराम से आरोपी श्री रामचन्द्र, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम ने 45,000/- रूपये रिश्वती राशि की सहमति तय होने पर आज दिनांक 13.08.25 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री किशनाराम से आरोपी श्री रामचन्द की मोटर साईकिल नं. आरजे 23 एसके 6429 के साईड मे लगे बैग में 40,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना व श्री खुमाराम, सहायक अभियंता ने मिली भगत कर षडयंत्र पूर्वक अपने दलाल कमल कुमार को रिश्वती राशि 60,000/- रूपये दिलवाना व आरोपी दलाल कमल कुमार से 60,000/- रूपये रिश्वती राशि बरामद होने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर आरोपी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री जैसाराम, उम्र 56 वर्ष, जाति जाट, निवासी ढाणी बिजारनियों की, कटराथल रोड, पिपराली, पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर व श्री कमल कुमार पुत्र श्री गोपाल चन्द, उम्र 38 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी मण्डा भीम सिंह, तह. रेनवाल, पुलिस थाना रेनवाल, जिला जयपुर को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री खुमाराम, सहायक अभियंता को मौके पर उपस्थित नही होने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में आरोपी दलाल के दोनो हाथो के धोवन शिल्ड शुदा शिशियां मार्क R-1,R-2,L-1,L-2 आरोपी रामचन्द्र की मोटर माईकिल के साईड में लगे बैग के धोवन की शिल्ड शुदा शिशियां मार्क- MCB-1,MCB-2 बैग के धोवन में काम में लिया गया रूई के फोवे को माचिस की डिब्बी में रखकर कपडे की थैली मार्क- B शिल्ड किया एवं बैग बरंग काला को सुखाकर एक कपडे की थैली में डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क- C एवं दलाल से बरामद रिश्वती राशि 60,000/- रूपये व श्री रामचन्द्र, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम से बरामद 40,000/- रूपये को बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी श्री खुमाराम, सहायक अभियंता कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर फरार है । अतः आरोपीगण (1) श्री रामचन्द्र पुत्र श्री जैसाराम, उम्र 56 वर्ष, जाति जाट, निवासी ढाणी बिजारनियों की, कटराथल रोड, पिपराली, पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर 2. श्री खुमा राम बाजरोलिया पुत्र श्री भागूराम बाजरोलिया जाति जाट उम्र 58 साल निवासी ग्राम धोकलिया पोस्ट मंगलाना जिला नागौर कनिष्ठ अभियंता (मूल पद अध्यापक) हाल चार्ज सहायक अभियंता कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सीकर 3. श्री कमल कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) पुत्र श्री गोपाल चन्द, उम्र 38 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी मण्डा भीम सिंह, तह. रेनवाल, पुलिस थाना रेनवाल, जिला जयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (सुनील सिहाग) अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर।......................कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि

उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील सिहाग अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर ग्रामीण,जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में आरोपीगण (1) श्री रामचन्द्र पुत्र श्री जैसाराम, उम्र 56 वर्ष, जाति जाट, निवासी ढाणी बिजारनियों की,-कटराथल रोड, पिपराली, पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर 2. श्री खुमा राम बाजरोलिया पुत्र श्री भागूराम बाजरोलिया जाति जाट उम्र 58 साल निवासी ग्राम धोकलिया पोस्ट मंगलाना जिला नागौर कनिष्ठ अभियंता (मूल पद अध्यापक) हाल चार्ज सहायक अभियंता कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सीकर 3. श्री कमल कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) पुत्र श्री गोपाल चन्द, उम्र 38 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी मण्डा भीम सिंह, तह. रेनवाल, पुलिस थाना रेनवाल, जिला जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 329 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1189-93 दिनांक 17.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर। 2.निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, 3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नगौर वर्तमान डीडवाना कुचामन 4- उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर,4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ग्रामीण,जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1?/08/2025 1?:?0

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1969				
2	Male	1987				
3	Male	01/02/1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)